

प्रेस नोट-
थाना नवाबाद, झाँसी

दिनांक- 07.05.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना नवाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपनारायण उर्फ दीपक के सहयोगियों/बेनामी के नाम दर्ज 24,28,33,200/- (चौबीस करोड़ अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार दो सौ) रुपए की अचल सम्पत्ति कुर्क,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में **उक्त प्रकरण में दिनांक 27-11-22 से 13-12-25 तक पूर्व में 572 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।** आज दिनांक 07.05.2026 को जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के द्वारा निर्गत आदेश के तहत जनपद झाँसी थाना नवाबाद पुलिस द्वारा राजस्व टीम के अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ अभि० दीपनारायण उर्फ दीपक पुत्र बलभद्र सिंह नि०-ग्राम बुढावली थाना मोठ जिला झाँसी हाल नि० आर०टी०ओ० आफिस के पास शिवाजी नगर थाना नवाबाद, झाँसी के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति के रखरखाव एवं भागीदारी में सहयोग करने वाले सहखातेधारको के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति कुल मूल्यांकित कीमत करीब **06,07,09,300/- (छः करोड़ सात लाख नौ हजार तीन सौ रुपये मात्र)** व कुल बजारु कीमत करीब **24,28,37,200/- (चौबीस करोड़ अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपये मात्र)** की अन्तर्गत धारा 14(1) उ०प्र० गिरोह बन्द निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्यवाही की गई। अतः उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त दीपनारायण उर्फ दीपक व उनके भागीदारियों सहित अब तक **कुल 596 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गयी है।**

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 30.04.2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा थाना नवाबाद जनपद झाँसी पर पंजीकृत अ०सं० 481/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दीपनारायण उर्फ दीपक पुत्र बलभद्र सिंह नि०-ग्राम बुढावली थाना मोठ जिला झाँसी हाल नि० आर०टी०ओ० आफिस के पास शिवाजी नगर थाना नवाबाद, झाँसी द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति के रखरखाव एवं भागीदारी में सहयोग करने वाले सहखातेधारको 1.कैलाश नारायण यादव पुत्र राम सिंह नि० ग्राम तिलैथा

थाना बरुआसागर जिला झांसी 2.अशोक गोस्वामी पुत्र प्रहलाद गोस्वामी निवासी 941 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरीबाजार जिला झांसी 3.मुन्नालाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम भगवन्तपुरा थाना सदर बाजार जिला झांसी 4.अभिषेक गोस्वामी पुत्र अशोक गोस्वामी निवासी 1050 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरीबाजार जिला झांसी के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में निर्गत आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द निवारण अधिनियम 1986 के तहत थाना नवाबाद पुलिस द्वारा राजस्व टीम के अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ निम्नलिखित अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही आज दिनांक 07.05.26 को अमल में लाई गई। कुर्की की गई सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है –

क्र०सं०	मौजा	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	गाटा संख्या	रकवा (हेक्टेयर)	सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन (रुपये)	
1.	करगुवाँ	कैलाश नारायण यादव पुत्र राम सिंह नि० ग्राम तिलैथा थाना बरुआसागर जिला झांसी	47	28	0.0375	41,25,000/-	
2.		एस आर रेजीडेन्सी प्रा०लि० डायरेक्टर अशोक गोस्वामी पुत्र प्रहलाद गोस्वामी निवासी 1050 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा			0.0050	5,50,000/-	
मौजा करगुवाँ के कुल मूल्यांकन कीमत – 46,75,000/- व बाजार मूल्य –1,87,00,000/-							
3.	बनगुवाँ	अशोक गोस्वामी पुत्र प्रहलाद गोस्वामी निवासी 941 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरीबाजार जिला झांसी	00012	67/2	0.405	19,44,000/-	
मौजा बनगुवाँ के कुल मूल्यांकन कीमत – 19,44,000/- व बाजार मूल्य – 77,76,000/-							
4.	भगवन्तपुरा	मुन्नालाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम भगवन्तपुरा थाना सदर बाजार जिला झांसी	364	252/4	0.0028	2,66,000/-	
				285	0.0098	1,07,800/-	
				290/1037	0.0172	18,92,000/-	
5.			363		300	0.202	22,22,000/-
6.					291/1	0.449	49,39,000/-
7.					302	0.243	26,73,000/-
8.					304मि	0.243	26,73,000/-
9.			40		334ब	0.077	8,47,000/-
10.					335मि०	0.113	12,43,000/-

11.	अभिषेक गोस्वामी पुत्र अशोक गोस्वामी निवासी 1050 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरीबाजार जिला झाँसी	141	673/3	1.793	3,72,27,500/-
मौजा भगवन्तपुरा के कुल मूल्यांकन कीमत – 5,40,90,300/- व बाजार मूल्य – 21,63,61,200/-					

अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क की गई कुल अचल सम्पत्ति की कुल मूल्यांकित कीमत करीब **06,07,09,300/-** (छः करोड़ सात लाख नौ हजार तीन सौ रुपये मात्र) व कुल बजार कीमत करीब **24,28,37,200/-** (चौबीस करोड अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार दो सौ रुपये मात्र) है।

कुर्क/जब्तीकरण करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण –

1. श्रीमती प्रीति सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद झाँसी
2. श्री लक्ष्मीकान्त गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद झाँसी
3. श्रीमान नायब तहसीलदार सदर, जनपद झाँसी
4. उपजिलाधिकारी सदर गोपेश तिवारी
5. क्षेत्रीय लेखपाल – आकाश पटैरिया
6. क्षेत्रीय लेखपाल – कल्याण सिंह
7. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
8. निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी
9. व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
10. उ0नि0 श्री विजय शंकर शुक्ला थाना नवाबाद जनपद झाँसी
10. उ0नि0 श्री मोहित यादव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
11. उ0नि0 श्री नवीन सिंह थाना नवाबाद जनपद झाँसी
12. उ0नि0 श्री निखिल कुमार चौकी प्रभारी विवि0 थाना नवाबाद जनपद झाँसी
13. हे0का0 173 नन्द कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी
14. हे0का0 214 आशुतोष थाना नवाबाद जनपद झाँसी
15. हे0का0 371 नीतू कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी
16. का0 354 पुष्पेन्द्र सिंह थाना नवाबाद जनपद झाँसी
17. का0 842 सौरभ कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी

18. का0 33 रवि गुप्ता थाना नवाबाद जनपद झाँसी
19. का0 1166 अजय पाण्डेय थाना नवाबाद जनपद झाँसी
20. म0का0 1797 पूजा सरोज थाना नवाबाद जनपद झाँसी
21. म0का0 1190 राखी वर्मा थाना नवाबाद जनपद झाँसी
22. रि0का0 मनीष कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी